(12)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प, भोपाल

1

निगरानी-2785/2018/हरदा/भू.रा

1. श्रीमति शारदा बाई पुत्री कुंजीलाल पति अशोक कुमार मालवीय
निवासी–विष्णुपुरी छिपानेर, रोड, हरदा

....................याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रमोद कुमार पिता कुंजीलाल मालवीया
निवासी गुलजार भवन पशु चिकित्सालय हरदा
2. प्रेमबाई पुत्री कुंजीलाल मालवीया
निवासी–थुआ द्वारा–रामेश्वर मालवीया निवासी–थुआ
तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद
3. निर्मलाबाई पत्नि मिश्रीलाल मालवीया
4. सुनील पिता मिश्रीलाल मालवीया
5. भगवान दास पिता मिश्रीलाल मालवीया
तीनों निवासी–देवीपुरा ग्राम नाहरकोला
तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म.प्र..................उत्तरवादी

अधिवक्ता श्री संदीप दुबे जिला-होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 02/04/18 A.S.

आयुक्त कार्यालय होशंगाबाद से भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 26-4-18

याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

उपरोक्त अपील अपीलार्थी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के द्वारा अपील प्रकरण कमांक 46/अपील अ–6, वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 15.12.15 एवं आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कमांक 202/अपील 17–18 में पारित आदेश दिनांक 1.2.18 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

2

प्रकरण क्रमांक निग.–2784 / 2018 जिला–हरदा

शारदा विरूद्ध प्रमोद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–10–18	प्रकरण प्रस्तुत । दिनांक 05.10.2018 को आवेदिका श्रीमती शारदा बाई पुत्री कुंजीलाल के अभिभाषक श्री संदीप दुबे को प्रकरण की कायमी पर सुना गया। 2/ प्रस्तुत निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/अपील/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2018 से परिवेदित होने के कारण प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के द्वारा आवेदिका द्वारा द्वितीय अपील का धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन अस्वीकार करते हुये अपील समयावधि बाह्य होने से अग्राहय होकर निरस्त की गई है। अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के द्वारा अपने अपील प्रकरण क्रमांक 46/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2015 से श्रीमती शारदा बाई अपीलांट (इस प्रकरण में निगरानीकर्ता) की अपील निरस्त की गई है। उक्त अपील में श्रीमती शारदा बाई ने तहसील रहटगांव की संशोधन पंजी क्रमांक 288 दिनांक 19.06.89 से श्री प्रमोद कुमार (इस प्रकरण में उत्तरवादी) के पक्ष में किये गये नामांतरण को लगभग 25 साल बाद चुनौती दी गई है। उक्त अपील अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निरस्त की गई है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.12.2015 का अंतिम पैरा निम्नानुसार है– " उक्त विवेचना उपरांत मैं अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी इस निष्कर्ष पर पहूॅचती	

हूँ कि प्रकरण में अपीलार्थी का यह कहना है कि पिता की मृत्यु 1987 में हुई थी, तब से आज दिनांक तक उसके द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसका ऐसा कहना कि भाई द्वारा उसे हिस्सा दिया जा रहा था, यह सत्य प्रतीत नहीं होता है। कहीं भी यह सिद्ध होना नहीं पाया गया है, कि मृत्यु पूर्व में उनका बंटवारा हो गया था, साथ ही संशोधन आदेश दिनांक 04.04.1989 भी तत्कालीन अभिलेखों में विधिवत दर्ज रहा है, जिसे चुनौती नहीं दी गई हे। उपरोक्त परिस्थितियों में संशोधन अपास्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आवेदन निरस्त किया जाता है।

3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक श्री संदीप दुबे ने निगरानी मेमों के साथ ऐसा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उनके द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष विलंब से प्रस्तुत अपील का औचित्य सिद्ध हो सके। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी आवेदन के साथ ऐसा कोई भी अभिलेख की प्रति प्रस्तुत नहीं की है जो आयुक्त के आदेश में वर्णित तथ्यों को खंडित करती हो। अतः निगरानी आवेदन प्रथम दृष्टया अग्राह्य की जाती है एवं आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद का आदेश दिनांक 01.02.2018 यथावत रखा जाता है।

2/2

4/ अतः उपरोक्त विवेचना के फलस्वरूप आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है।

5/ प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। पक्षकार सूचित हो।

(आर.के. जैन) 16.4.18
सदस्य